प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 201 / 2023
अनवान : –

1. रायसाहब पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।
2. सीमला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 10.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 13 / 13 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्तव 2076–79 के खाता स0 9 / 9 की कुल 2. 2770 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 9 / 9 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 13 / 13 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से प0न0 314 / 386(18) के किला न0 2 ता 4 प्रत्येक [illegible] 3 हैक्ट, 5 / 1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5 / 2 की 0.2280 हैक्ट, 6 / 1 की [illegible] गै0मु0 रास्ता, 6 / 2 की 0.2280 हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 13/13 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्तव 2076–79 के खाता स0 9/9 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 ने अपवना हक त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वाद के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 9/9 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 13/13 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से प0न0 314/386(18) के किला न0 2 ता 4 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, 5/1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्ट, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2280 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ..10/6/23.. को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 201/2023
अनवान : –

1. रायसाहब पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।
2. सीमला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 2 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 201 सन 2023 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 9/9 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 13/13 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से प0न0 314/386(18) के किला न0 2 ता 4 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, 5/1 की 0.025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्ट, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2280 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:49:02 IST
Reason: SelfAttested